न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

उपस्थित–श्री सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0–यू0पी02001),
जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–570 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010041662026

1. प्रवेश यादव पुत्र राजपत यादव।
2. रमेश यादव पुत्र राजपत यादव।
3. शुभम पाठक उर्फ सोनू पाठक पुत्र मूलचन्द पाठक।
सा0मौ0–नदियांव, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–181 / 2026
धारा–191(2), 191(3), 140(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0
थाना–मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

01.06.2026

आवेदकगण / अभियुक्तगण प्रवेश यादव, रमेश यादव व शुभम पाठक उर्फ सोनू पाठक के द्वारा मु0अ0सं0–181 / 2026, धारा–191(2), 191(3), 140(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना–मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा सलामत अली द्वारा थाना–मड़ियाहूं में इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 16.05.2026 को समय करीब 5 बजे शाम में उसका छोटा भाई नियामत अली अपने घर के पास बैठा था तभी बोलोरो गाड़ी सं0–एम0एच0 48 ए0डब्लू0 2113 से प्रवेश यादव, रमेश यादव, अपने साथी शिवम दूबे उर्फ आंचल, शुभम दुबे उर्फ शिवम, अभिषेक दूबे उर्फ मोनू, अजय उर्फ गोली, मुकेश दूबे उसके घर आये तथा उसके भाई से जबरदस्ती पैसे की मांग करने लगे जब उसका भाई पैसा नहीं दिया व कारण पूछा तो जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाकर गांव से कुछ दूर ले जाकर एक राय व गोल बनाकर लाठी, डण्डा व राड व पंच से उपरोक्त सभी अभियुक्तगण गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की नीयत से उसके भाई को मारकर लहुलुहान कर दिये और धमकाये कि अगर कोई पुलिस कार्यवाही करोगे तो जान से भी हाथ धो दोगे। वह अपने भाई को लेकर सी0एच0सी0 मड़ियाहूं व जिला अस्पताल जौनपुर ले गया जहां उसकी दवा इलाज चल रहा है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है तथा उन्हें गलत ढंग से अभियुक्तगण बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट में काफी विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना देखने व पुलिस विवेचना में भी उल्लेख नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–109(1) व 140(2) बी0एन0एस0 का अपराध नहीं बनता है किन्तु पुलिस द्वारा वादी के राजनैतिक प्रभाव के कारण प्रार्थीगण को गलत रूप से गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 17.05.2026 न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण / अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.02 12:35:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 16.05.2026 को समय करीब 5 बजे शाम में वादी मुकदमा के भाई पति राजकुमार मौर्या के उपर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला करने, लाठी, डण्डा व राड व पंच से बार–बार मारकर गम्भीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। घटनाक्रम की पुष्टि वादी मुकदमा एवं चोटहिल/गवाह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब की आघात आख्या में उसके शरीर पर 8 चोटें आने का अंकन किया गया है–1-A stiched wound 3cm present over mid of skull 10cm length. 2- A Stiched wound of 5cm X 3cm present oxypital resion of skull. 3- a Stiched wound 2cm side of skull. 4- A stiched wound 2cm oxypital resion. 5- contused swelling of 6cm X 4cm present over eye's. 6- An abrated contusion of 4cm X 2cm present of right elbow. 7- complain of pain 8-A contusion of 8cm X 1.5cm present over neck. केस डायरी पर मजरूब के फोटोग्राफ्स दाखिल किया गया है जिसमें उसके सिर पर जोकि एक मर्म स्थान है पर चोटें आना अंकित है। अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्तगण प्रवेश यादव, रमेश यादव व शुभम पाठक उर्फ सोनू पाठक के विरूद्ध क्रमशः 7, 4 व 5 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रवेश यादव, रमेश यादव व शुभम पाठक उर्फ सोनू पाठक के द्वारा मु0अ0सं0–181/2026, धारा–191(2), 191(3), 140(2), 109(1), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना–मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–01.06.2026
नितिन कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी02001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।